न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), सुकमा
जिला–सुकमा (छ0ग0)

राजस्व प्रकरण क्रमांक–202504190300002 /अ–62/2024–25

प्ररूप–ड.
{ नियम 7(2)देखिये}
// अनुमति पत्र //

कमांक/865/प्र.2/अ.वि.अधि.(रा.)/2024–25 सुकमा दिनांक 29/04/2025

प्रति

कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
सुकमा, संभाग सुकमा(छ.ग.)

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति पत्र

––00––

कार्यपालन अनुविभागीय अधिकरी,लोक निर्माण विभाग(भ/स) उप–संभाग का पत्र कंमाक/66/अ.वि.लि./लो.नि.वि./सुकमा दिनांक 06.02.2025 के द्वारा न्याय प्रशासन के आवास निर्माण हेतु आवंटित भूमि का खसरा नंबर 479/2 रकबा 0.405 हे. भूमि पर स्थित 8 नग ईमारती एवं गैर ईमारती वृक्षों को निर्माण कार्य में प्रभावित होने के कारण कटाई हेतु अनुमति चाहे जाने पर आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर वनमण्डलाधिकारी महोदय वनमण्डल सुकमा एवं तहसीलदार सुकमा से संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण एवं जांच प्रतिवेदन चाही गई।

2– प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी महोदय वनमण्डल सुकमा एवं तहसीलदार सुकमा का संयुक्त जांच प्रतिवेदन कंमाक/राजस्व /मा.म./663 सुकमा दिनांक 23.04.2025 द्वारा न्याय प्रशासन के आवास निर्माण हेतु आवंटित भूमि खसरा नंबर 479/2 रकबा 0.405 हे. भूमि पर स्थित वृक्ष कंमाक–15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एवं 23 कुल 08 नग प्रभावित वृक्षों को छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240/241 के तहत काटे जाने हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित किया हैः–

प.ह.न.13/सुकमा, खसरा नंबर–479/2 रकबा 0.405 हे.

क.	वृक्ष कंमाक	वृक्ष का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	5
1	15	सागौन	
2	16	धावड़ा	
3	17	सागौन	
4	18	सागौन	
5	19	सागौन	
6	20	बीजा	
7	21	बीजा	
8	23	साजा	

28/04/25

Scanned with CamScanner

3– कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग सुकमा, जिला–सुकमा(छ.ग.) द्वारा प्रस्तावित न्याय प्रशासन के आवास निर्माण कार्य की आवश्यकता को देखते हुए, वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सुकमा एवं तहसीलदार सुकमा के संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर एतद् द्वारा कुल 08 विभिन्न प्रजाति के ईमारती/गैर ईमारती वृक्षों को जनहित में छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 के नियम 2, 3(6) के तहत निम्न नियम एवं शर्तो के अधीन काटे जाने की अनुमति दी जाती है।

1. उपरोक्त आदेशित वृक्षों को तहसीलदार, सुकमा एवं आवेदक विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में वन विभाग द्वारा काटा जायेगा। उक्त न्याय प्रशासन के आवास निर्माण कार्य में प्रभावित वृक्षों को ही काटे जाने की अनुमति प्रदाय की जा रही है। उक्त वृक्षों के अलावा आस–पास के वृक्षों को क्षति नहीं पहूँचाया जायेगा।

2. उपरोक्त वृक्षों की विधिवत् एवं नियमानुसार कटाई एवं परिवहन वन विभाग द्वारा किया जावेगा। वनमण्डलाधिकारी,वन मण्डल सुकमा को उपरोक्त वृक्ष के काष्ठ की नीलामी से प्राप्त राशि में से परिवहन में हुए व्यय की राशि सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित कर, कुल मूल्य का 95 प्रतिशत् राशि नियमानुसार शासकीय खजाने में जमा की जावेगी एवं 05 प्रतिशत् राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जायेगी। जमा राशि में से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय के माध्यम से कलेक्टर महोदय की दी जावेगी।

3. प्रश्नाधीन वृक्षों को काटने के पूर्व आस–पास के गृह स्वामियों, यदि हो तो उन्हें पूर्व से सूचित किया जावे एवं विद्युत विभाग से भी आवश्यक सहयोग प्राप्त कर, वृक्षों के कटाई की जावे। साथ ही वृक्ष कटाई पर किसी प्रकार की जन–धन हानि या सरकारी संपत्तियों की हानि न हो इसका पूर्ण ध्यान रखा जावे।

4. छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969(क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नही किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा पत्र आज दिनांक 28/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया। यह अनुशंसा एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य होगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
सुकमा,जिला–सुकमा(छ.ग.)

पृ0 कमांक /365/प्र.2/अ.वि.अधि.(रा.)/2024–25 सुकमा दिनांक 29/04/2025

प्रतिलिपिः–

1– कलेक्टर महोदय,जिला–सुकमा(छ.ग.)को सादर सूचनार्थ।

2– वनमण्डलाधिकारी महोदय, वनमण्डल सुकमा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

3– तहसीलदार सुकमा, जिला सुकमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
सुकमा,जिला–सुकमा(छ.ग.)

Scanned with CamScanner